राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(   )चुनाव / जन / स्वा.शा. / 19 / 2841-3034   दिनांक 20/6/19

मुख्य नगर पालिक अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान ।

विषय :– आगामी नगरपालिका चुनाव हेतु नगरपालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अधिसूचना दिनांक 10.06.2019 के अनुरूप वार्डो के पुर्नगठन / पुर्नसीमांकन बाबत ।

....

नगरीय निकायों की जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों में वार्डो की संख्या के निर्धारण हेतु विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 1523 दिनांक 10.06.2019 जारी की गई है एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 818 दिनांक 10.06.19 द्वारा राज.नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 3 के तहत नगरीय निकायों में निर्धारित सीटों की जनसंख्या के अनुसार वार्डो का गठन एवं पुर्नसीमांकन का कार्य किए जाने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया जाकर विभागीय आदेश क्रमांक प.10( )चुनाव / जन / स्वा.शा. / 19 / 2195 दिनांक 10.06.19 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी कर पुर्नगठन / पुर्नसीमांकन का कार्य आदेश में वर्णित समयावधि में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं एवं आदेश की प्रति आपको पूर्व में जरिए ई–मेल प्रेषित की जा चुकी है, जो विभागीय बेवसाईट पर भी उपलब्ध है।

नगरीय निकायों में आगामी आम चुनावों हेतु अल्पसमयावधि को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों में उपरोक्त अधिसूचनाओं के आधार पर वार्डो का पुर्नगठन / पुर्नसीमांकन का कार्य विभागीय आदेश दिनांक 10.06.19 में वर्णित निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से सम्पूर्ण किया जाकर अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में करवाया जाना वांछनीय है।

अतः आप द्वारा आपके नगरीय निकाय में विभागीय अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित की गई वार्डो की संख्या के आधार पर वार्डो के पुर्नगठन / पुर्नसीमांकन के संबंध में तैयार की गई कार्य योजना / अब तक की गई कार्य की प्रगति रिपोर्ट दिनांक 21.06.19 को सांय 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही तैयार की गई कार्य योजना / अब तक की गई कार्य की प्रगति रिपोर्ट विभागीय ई–मेल dlbelection@gmail.com पर भी भिजवाते हुए हार्ड कॉपी विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10(   )चुनाव / जन / स्वा.शा / 19 / 3035 to 3274   दिनांक 20/6/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेंत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार की अधीनस्थ नगरीय निकायों से संबंधित सूचनायें संकलित कर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करावे एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाये जाने हेतु समय–समय पर अधीनस्थ नगरीय निकायों का निरीक्षण कर कार्य पूर्ण किये जाने हेतु नगरीय निकायों को निर्देश प्रदान करेंगे।
7. समस्त नगर नियोजक, नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान।
8. समस्त संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(नगरपालिका), राजस्थान।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/DLB/ Ajay ji SLO/Letter